-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना चिल्ला पुलिस द्वारा जाली भारतीय मुद्रा का संचरण करने वाले 25 हजार रुपए के इनामियां वांछित मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.07.2026 को थाना चिल्ला पुलिस द्वारा जाली भारतीय मुद्रा का संचरण करने वाले 25 हजार रुपए के इनामिया वांछित मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि वर्ष 2021 में एसटीएफ प्रयागराज द्वारा जाली भारतीय मुद्रा के संचरण करने वाले गिरोह को थाना चिल्ला क्षेत्र में पकड़ा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जाली भारतीय मुद्रा के संचरण करने गिरोह का मुख्य अभियुक्त जनपद महोबा का रहने वाला तुषार पुत्र सुभाष था जो काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.07.2026 को थाना चिल्ला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को ग्राम नरी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. तुषार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा। हाल पता- बजरंग चौक थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 84/21 धारा 489B/489C भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तुषार उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 117/23 धारा 174A भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आनंद कुमार साहू थानाध्यक्ष चिल्ला
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह
3. रि0कां0 आकाश पाण्डेय